

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 110/2019 वाद

जगदीशचन्द्र पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी अहीरपुरा,
तहसील निम्बाहेड़ा। - वादी

//बनाम//

1. राधेश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी अहीरपुरा।
2. मिश्रीलाल पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी अहीरपुरा।
3. घनश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी अहीरपुरा।
4. दुर्गाशंकर पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण, आयु वयस्क, निवासी अहीरपुरा।
5. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।- प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 21.08.2019 को राजीनामें अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विवादित भूमि मौजा वाके मौजा लक्ष्मीपुरा की खाता संख्या 37 की आराजी नं. 223 रकबा 1.1500 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा घोषित किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम मौजा लक्ष्मीपुरा की उक्त आराजीयात से विलोपित करने के आदेश दिये गये। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि उपर्युक्तानुसार हिस्सों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित भूमि का बंटवारा पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करते हुए फर्द विभाजन सूची प्रस्तुत करे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/टीआरए/19/22/609 दिनांक 22.10.2019 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजीयात-

- 1- श्री जगदीश चन्द्र पिता ईश्वर लाल ब्राह्मण, सा. अहीरपुरा के रहेगी:-
आराजी नम्बर रकबा हेक्टेयर में
223 उत्तर 0.3900



2- श्री राधेश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण, सा. अहीरपुरा के रहेगी:-
आराजी नम्बर रकबा हेक्टेयर में
223 दक्षिण 0.3800

3- श्री मिश्रीलाल पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण, सा. अहीरपुरा के रहेगी:-
आराजी नम्बर रकबा हेक्टेयर में
223 मध्य 0.3800

ग्राम अहीरपुरा की आराजीयात का बंटवारा-

1- श्री दुर्गाशंकर पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
161	0.2700	0.95
160	0.2500	2.28
218	0.1000	4.20
225	0.0900	1.08

कुल किता 4 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर कुल लगान 8.51 रुपये

2- घनश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
160	0.5100	4.94
218	0.0300	1.26
225	0.0300	0.36
226	0.1400	1.68

कुल किता 4 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर कुल लगान 8.24 रुपये

3- श्री जगदीश पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
394/246	0.1000	1.20
218	0.1500	6.30
225	0.0600	0.72
245	0.0100	--
217	0.0100	--

कुल किता 5 कुल रकबा 0.3300 हैक्टेयर कुल लगान 8.22 रुपये



Web Copy - Not Official

4- राधेश्याम पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
241	0.1300	1.56
240	0.0100	--
394/246	0.1000	1.20
218	0.0500	2.10
225	0.0500	0.60

.....
कुल किता 5 कुल रकबा 0.3400 हैक्टेयर कुल लगान 5.46 रूपये
.....

5- मिश्रीलाल पिता ईश्वरलाल ब्राह्मण के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
241	0.3300	3.96

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में वर्णित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने की स्थिति में रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फर्रिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 10.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

